



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 02 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला पुरुष/महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत टी0बी0 सैनेटोरियम, सहारनपुर में समस्त वार्डों/डी0आर0टी0बी0 सेन्टर/मीटिंग हॉल/पैथोलोजी/डाट सेन्टर/स्पुटम रूम इत्यादि भवनों के सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-652/17फ/नि0नि0अ0/2025-26, दिनांक 16.01.2026 एवं शासनादेश संख्या-आई0/1201660/2026-5-6099/402/2025-6, दिनांक 09.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश दिनांक 09.01.2026 द्वारा जिला पुरुष/महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत टी0बी0 सैनेटोरियम, सहारनपुर में समस्त वार्डों/डी0आर0टी0बी0 सेन्टर/मीटिंग हॉल/पैथोलोजी/डाट सेन्टर/स्पुटम रूम इत्यादि भवनों के सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण के कार्य हेतु "विभागीय अभियंत्रण इकाई" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में महानिदेशालय के पत्र दिनांक 16.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला पुरुष/महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत टी0बी0 सैनेटोरियम, सहारनपुर में समस्त वार्डों/डी0आर0टी0बी0 सेन्टर/मीटिंग हॉल/पैथोलोजी/डाट सेन्टर/स्पुटम रूम इत्यादि भवनों के सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण के कार्य हेतु धनराशि रुपये 217.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये धनराशि रुपये 217.40 लाख (दो करोड सत्रह लाख चालीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
4. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।
5. प्रायोजना का अनुमोदन आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये लागत का अनुमोदन किया गया है, प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (दुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत से स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य करवा जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता/कार्यदायी संस्था की होगी।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
9. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
11. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
12. कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाये और यदि शासकीय धन पर कोई व्याज अर्जित किया गया हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,17,40,000 (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210011104200 जिला पुरुष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सहारनपुर।
4. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियंत्रण एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक (विद्युत) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर।
10. निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, टी0बी0 सैनेटोरियम, सहारनपुर।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
12. मर्ज फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।